प्राचार्य का कार्यालय,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आवासीय भवन के आवंटन एवं आवंटन उपरान्त सुचारू रूप से आवासीय भत्ता की कटौति एवं भवनों के रख–रखाव में काफी जटिलता पैदा हो रही है। साथ ही आवासीय भवनों के आवंटन एवं आवास भत्ता कटौति के संबंध बराबर सूचना के अधिकार के तहत मॉगी जाती है। अपूर्ण सूचना रहने पर अनुपालन करने में परेशानी होती है। पूर्वकालिक यह व्यवस्था निर्धारित थी कि आवासीय भवनों के आवंटन कॉलेज एवं अस्पताल के बराबर–बराबर भागों में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटन करने की व्यवस्था निर्धारित थी। आवासीय भवनों के समीक्षा में यह पाया जा रहा है कि इस संस्थान से आवासीय कमरा के आवंटनोंपरान्त आवास भत्ता की कटौति इत्यादी में एकरूपता नहीं हो पा रही है।

अतः सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस संस्थान परिसर में टयूटर रेसीडेन्स का ए ब्लॉक के सभी फ्लैट का आवंटन प्राचार्य के स्थापना स्तर से आवंटित किया जायेगा तथा बी ब्लॉक के सभी फ्लैट का आवंटन अधीक्षक के स्थापना स्तर से आवंटित करते हुए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मकान भत्ता व मानक किराया की कटौति की जाय। अन्य तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय आवासीय भवनों में भी यह व्यवस्था लागू किया जाता है कि ½ के अनुपात से आवासीय फ्लैट एवं कमरों का आवंटन किया जायेगा।

ई–स्टेट ऑफिसर/आवास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उक्त कार्य के कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे।

ह0/–
प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 791/24 /

मुजफ्फरपुर, दिनांक 03/05/024

प्रतिलिपिः– अधीक्षक,, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– स्टेट ऑफिसर/आवास पदाधिकारी/बरसर/लेखापाल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक प्रशासी पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Abha Rani Sinha
3/5/24.

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

3/5/24